

2023

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

भगवानलाल बनाम जीवराज

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 445/2023

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

04/12/23

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / ~~श्री~~ भगवानलाल - जीवराज - बगवानलाल

पिता श्री भीमा धाकड़ R10 सेमलपुरा, अमीष पिता भोएनसिंह गिलुडिया

निवासी- संगम मार्ग शिवलोक कोलोनी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम .....

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 1885/342, 1887/340  
सेमलपुरा 0.0425 0.2250  
1884/342, 1886/340, 1883/342, 340मी., 342मी., 341  
0.1625 0.1050 0.1875 0.0600 0.2275 0.0600

कुल कीता 08 कुल रकबा 1.0700 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम सेमलपुरा (सि. वस्ती) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1885/342, 1887/340, 1884/342, 1886/340, 1883/342  
0.0425 0.2250 0.1625 0.1050 0.1875  
340मी 342मी 341  
0.0600 0.2275 0.0600

कुल कीता 8 रकबा 1.0700 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1050.00 रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

रामचन्द्र खटीक  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़